

## समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- [goddadlao@gmail.com](mailto:goddadlao@gmail.com)

—: आदेश :-

The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा- 04 अंतर्गत दुमका-हँसडीहा सड़क से बिहार सीमा तक सड़क निर्माण हेतु अंबल- पोड़ैयाहाट, ग्राम कमराडोल रीट नं०-2 एवं तीलाटांड में अधिगृहित कुल रकवा- 1.63 एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य सोशल एक्शन फोर रुरल डवलवमेंट (शारदा), छोटकी मुरम, रामगढ़ के द्वारा करने के उपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित होने के उपरांत The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा- 07 के आलोक में सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist), पुनर्वास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation), ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ सांकेत विशेषज्ञ समूह (Expert Group) की गठन का प्रावधान है।

भू-अर्जन अधिनियम 2013 के धारा- 07 के आलोक में विभागों एवं संस्थाओं से सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist) एवं पुनर्वास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation) एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त सूची से दुमका-हँसडीहा सड़क से बिहार सीमा तक सड़क निर्माण हेतु प्राप्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह (Expert Group) के सदस्य के रूप में एक समिति गठित की जाती है।

विशेषज्ञ समूह (Expert Group) निम्नप्रकार है :-

i पंचायत प्रतिनिधि -

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. श्रीमती शीशीलीया मुर्मू, मुखिया-सह-पंचायत प्रतिनिधि, सलैया पंचायत | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री महेन्द्र दुडू, मुखिया सह-पंचायत प्रतिनिधि, ठाकुरनहान पंचायत  | - | सदस्य   |

ii सामाजिक वैज्ञानिक -

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 3. डा० सुजीत कुमार सोरेन, सहायक प्राध्यापक,<br>सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, संथाल परगना महाविद्यालय दुमका- | - | सदस्य |
|---|---|-------|

iii पुनर्वास विशेषज्ञ -

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 4. डा० टि०पी० सिंह, विभागाध्यक्ष, अर्धशास्त्र विभाग,<br>सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका   | - | सदस्य |
| 5. श्री प्रणय कुमार, सचिव, CRADLE<br>(Consultant for Rural Area Development: Linked Economy),<br>C-258, Road No.- 1/C, Ashok Nagar, Ranchi | - | सदस्य |

iv तकनीकी विशेषज्ञ -

7. श्री सुशेन्द्र प्रसाद, उप महाप्रबंधक,

दुमका हंसडीहा पथ परियोजना, पथ निर्माण विभाग, राँची

- सदस्य

विशेषज्ञ समूह के द्वारा दो महीने के अंदर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 के आलोक में मंतव्य सहित समर्पित किया जाएगा।

1. परियोजना लोक प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा करती है अथवा नहीं के संबंध में।
2. सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक प्रभाव के कुप्रभाव अथवा लाभ के संबंध में।
3. अन्य प्रतिवेदन/मंतव्य जो विशेषज्ञ समूह (Expert Group) आवश्यक समझती है।

विशेषज्ञ समूह दिनांक-27/12/2017 से 05/01/2018 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से 04:00 बजे अपराह्न जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ठ में विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस संबंध में समीक्षा करेगी एवं आवश्यकतानुसार संबंधित अंचल में भ्रमण करेगी।

15/12/17  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
गोड्डा।

15/12/17  
अपर समाहर्ता,  
गोड्डा।

38  
उपायुक्त,  
गोड्डा।

ज्ञापांक : 1388 / भूअ0 गोड्डा दिनांक : 21/12/2017

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक-सह-सचिव, सोशल एक्शन फोर रुरल डवलपमेंट (शाखा), छोटकी मुर्म, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विशेषज्ञ समूह के सभी अध्यक्ष/सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशासक-सह-अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति को गोड्डा जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पोड़याहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि विशेषज्ञ समूह को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आर0सी0डी0 रोड़ प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/17  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
गोड्डा।

15/12/17  
अपर समाहर्ता,  
गोड्डा।

38  
उपायुक्त,  
गोड्डा।